राजस्थान सरकार

स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर

दूरभाष सं. 0141-2222469, 2226760 फेक्स सं. 0141-2222403 वेबसाईट : www.lsg.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांकः एफ 55 ( )अभि./सीई/डीएलबी/19/आपदा प्रबन्धन/82388 — 82581 दिनांक : 6/9/19

आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी
नगर निगम/परिषद/पालिका
समस्त राजस्थान।

विषय : राज्य में अतिवृष्टि/बाढ़ से हुये नुकसान से सम्बन्धित प्रस्ताव/सूचना प्रेषित करने बाबत।

प्रसंग : विभाग द्वारा पूर्व में प्रेषित समसंख्यक पत्रांक : 80568-771 दिनांक 28.08.2019 की निरन्तरता में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के क्रम में लेख है कि राज्य में हुई अत्यधिक वर्षा/बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में हुये नुकसान (क्षतिग्रस्त सड़कों/जल निकासी हेतु नालियों/पुलियाओं आदि) के सम्बन्ध में आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग द्वारा उपलब्ध करवाये गये निर्धारित प्रपत्रों में विभाग को सूचना प्रेषित करने हेतु निर्देश दिये गये थे, किन्तु उक्त सूचनायें/प्रस्ताव, आपदा प्रबन्धन कार्यो हेतु जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित 'जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण' से अनुमोदन उपरान्त प्रेषित नहीं किये गये हैं एवं लगभग 28 नगर निकायों (सूची संलग्न) द्वारा प्रस्ताव/सूचनायें आदिनांक तक प्रेषित नहीं किये गये हैं।

इस विषय में लेख है कि शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 5.09.2019 को आयोजित बैठक में निर्देश दिये गये हैं कि राज्य में हुई अत्यधिक वर्षा से क्षतिग्रस्त परिसम्पत्तियों के मरम्मत/पुनर्निर्माण कराये जाने हेतु सहायता/राशि प्राप्त करने के लिये भारत सरकार को भिजवाये जाने वाले ज्ञापन में विभाग/नगर निकायों से सम्बन्धित प्रस्तावों को भी सम्मिलित किया जावेगा। बैठक में यह भी निर्देश दिये गये हैं कि अत्यधिक वर्षा/बाढ़ से प्रभावितों क्षेत्रों में हुये नुकसान का आंकलन करते हुये, पूर्व में आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग के द्वारा निर्धारित व विभाग द्वारा प्रेषित प्रपत्र-1, 2 व 3 में क्षतिग्रस्त परिसम्पत्तियों के Restoration सम्बन्धी कार्यो के प्रस्ताव उपखण्ड स्तरीय समिति की अभिशंषा उपरान्त जिला कलेक्टर (सहायता) की अध्यक्षता में गठित जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण से अनुमोदित प्रस्ताव इस विभाग को अविलम्ब प्रेषित किये जावें एवं साथ ही प्रस्ताव जिला कलेक्टर (सहायता) के माध्यम से आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग को प्रेषित किये जावें। प्रस्ताव में क्षतिग्रस्त सम्पत्ति का वर्गीकरण, क्षति की दिनांक, क्षति की दिनांक को वास्तविक वर्षा, क्षति का मुख्य कारण तथा क्षतिग्रस्त हिस्से की लोकेशन आदि सम्मिलित हो। बैठक में यह भी निर्देश दिये गये हैं कि अतिवृष्टि/बाढ़ से बचाव हेतु तत्समय नगर निकायों द्वारा किये गये कार्यो (यथा प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना, उनके खाने-पीने व रहवास इत्यादि की [illegible] वर्षा से प्रभावित नुकसान से बचाव हेतु किये गये कार्यो एवं संसाधनों पर हुये

व्यय, क्षतिग्रस्त सड़कों/रास्तों को सुचारू करने हेतु मिट्टी भराव इत्यादि कार्य) पर हुई व्यय राशि का विवरण भी प्रस्तावों में सम्मिलित किया जावे (प्रपत्र–4)।

अतः इस सम्बन्ध में समस्त नगर निकायों को पुनः निर्देशित किया जाता है कि अतिवृष्टि/बाढ़ से हुये नुकसान के आंकलन प्रस्ताव व बाढ़ बचाव पर किये गये व्यय का विवरण तैयार करते हुये, उक्त प्रस्तावों को उपखण्ड स्तरीय समिति की अभिशंषा उपरान्त जिला कलेक्टर (सहायता) की अध्यक्षता में गठित जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण से अनुमोदित करवाकर निर्धारित प्रपत्र–1, 2, 3 व 4 में सम्बन्धित उप निदेशक (क्षेत्रीय) के माध्यम से भिजवाने का श्रम करें। सम्बन्धित उप निदेशक (क्षेत्रीय) उक्त सूचनाओं को इकजाई कर दिनांक 09.09.2019 को मध्यान्ह् 12.00 बजे तक निदेशालय को ई–मेल cedlbjp@gmail.com पर अविलम्ब भिजवाने का श्रम करें। इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दें।

संलग्न : प्रपत्र–1, 2, 3 व 4 ।

(उज्जवल राठौड़)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांकः एफ 55 ( )अभि./सीई/डीएलबी/19/आपदा प्रबन्धन/ 02582– 02670 – दिनांक : 6/9/19

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, राज. जयपुर को दिनांक 5.09.2019 को आयोजित बैठक में दिये गये निर्देशों के क्रम में।
4. निजी सचिव, जिला प्रभारी प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव (समस्त), जयपुर।
5. जिला कलेक्टर्स, समस्त राजस्थान।
6. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, समस्त राजस्थान को प्रेषित कर लेख है कि अतिवृष्टि/बाढ़ से हुये नुकसान से सम्बन्धित प्रस्ताव/ सूचनाओं को इकजाई कर दिनांक 09.09.2019 को मध्यान्ह् 12.00 बजे तक निदेशालय को ई–मेल cedlbjp@gmail.com पर आवश्यक रूप से भिजवाना सुनिश्चत करें।
7. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता/सम्भागीय अधीक्षण अभियन्ता, नगर निगम (समस्त)।
8. अधिशाषी अभियन्ता, नगर निगम/परिषद (समस्त), समस्त राजस्थान।
9. प्रोग्रामर, आई.टी. सेल; निदेशालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड़ करने।
10. सुरक्षित पत्रावली।

(भूपेन्द्र माथुर)
मुख्य अभियन्ता
स्वायत्त शासन विभाग
राज., जयपुर

राजस्थान सरकार

निदेशालय, स्थानीय निकाय राज. जयपुर

जी–3, राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन्स फाटक के पास, सी–स्कीम, जयपुर–302015

क्रमांकः एफ 55 ( )अभि./सीई/डीएलबी/2019/ 80568 – 80761 दिनांकः– 28.8.19

आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी
नगर निगम/परिषद/पालिका
समस्त राज0।

विषयः– राज्य में हुई अत्यधिक वर्षा से उत्पन्न बाढ से हुये नुकसान से संबंधित सूचना प्रेषित करने बाबत।

प्रसंगः– आपके कार्यालय के पत्र कमांक एफ.8 आ.प्र. एवं सहा/बाढ़/के.अ.द./2019/6650–60 दिनांक 27.08.2019 को शासन सचिव, आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग के कक्ष में आयोजित बैठक के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रासांगिक पत्र अनुसार श्री राकेश कुमार सिह, सयुक्त सचिव(बीएम I व II), गृह मंत्रालय भारत सरकार के नेतृत्व मे अन्तर मंत्रालयिक केन्द्रीय अध्ययन दल द्वारा राज्य में अत्यधिक वर्षा/बाढ़ से हुये नुकसान वाले क्षेत्रों का दौरा किया जाना है एवं दिनांक 28.08.2019 को शासन सचिव, आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग के कक्ष में आयोजित बैठक में "राज्य में हुई अत्यधिक वर्षा से उत्पन्न बाढ़ से हुये नुकसान" के संबंध में चर्चा की गई।

उक्त बैठक में हुई चर्चा के निर्णयानुसार राज्य में हुई अत्यधिक वर्षा से उत्पन्न बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में हुये नुकसान (क्षतिग्रस्त सड़के/जल निकासी व्यवस्था/पुलिया) के संबंध में निर्धारित प्रपत्रो मे सूचना दिनाक 29.08.2019 को दोपहर 03.00 बजे तक आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग द्वारा चाही गई है एवं बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में हुये क्षतिग्रस्त सड़के/जल निकासी व्यवस्था/पुलिया आदि नुकसान संबंधित फोटोज एवं विडियोग्राफी अग्रिम रूप से तैयार कराने के निर्देश प्रदान किये गये है।

अतः उक्त के क्रम में निवेदन है कि **उक्त वांछित सूचना निर्धारित संलग्न 03 प्रपत्रों में दिनांक 29.08.2019 को दोपहर 03.00 बजे से पूर्व soft copy (word format) & Hard copy में cedlbjp@gmail.com पर भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें** एवं संबंधित निकाय बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में हुये क्षतिग्रस्त सड़के/जल निकासी व्यवस्था/पुलिया आदि नुकसान संबंधित फोटोज एवं विडियोग्राफी अग्रिम रूप से तैयार करवाना सुनिश्चित करें। साथ ही गृह मंत्रालय भारत सरकार के नेतृत्व मे अन्तर मंत्रालयिक केन्द्रीय अध्ययन दल द्वारा दौरा करने के समय फोटोज एवं विडियोग्राफी उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करावें।

इसे सर्वोच्च प्राथमिकता देवें।
संलग्नः–03 प्रपत्र उपरोक्तानुसार

(उज्जवल राठौड़)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांकः एफ 55 ( )अभि./सीई/डीएलबी/ 80762 – 80772 दिनांक 28/8/19

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
4. **उप निदेशक(क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, समस्त को प्रेषित कर निवेदन है कि संबंधित निकाय क्षेत्रों से उक्त वांछित सूचना प्राप्त कर सम्भाग वाईज इकजाई कर निदेशालय को निर्धारित समय से पूर्व भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें।**
5. सुरक्षित पत्रावली।

(भूपेन्द्र माथुर)
मुख्य अभियंता

राजस्थान सरकार
आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग

एफ.8(1) आ.प्र.एवं सहा/बाढ़/2019/ 6182 जयपुर,दिनांक 8-8-19

समस्त जिला कलक्टर,
राजस्थान।

विषय :– राज्य आपदा मोचन निधि में अनुज्ञेय प्राकृतिक आपदाओं में बाढ़/अत्यधिक वर्षा से **क्षतिग्रस्त परिसम्पत्तियों के Restoration** के संबंध में दिशा–निर्देश।

संदर्भ :– भारत सरकार द्वारा दिनांक 08.04.2015 को जारी राज्य आपदा मोचन निधि के मापदण्ड के बिन्दु संख्या 10 के कम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के कम में लेख है कि राज्य में मानसून के दौरान अनेक स्थानों पर समय समय पर अत्यधिक वर्षा से जलभराव होने पर बाढ़ जैसी स्थिति होने के कारण सार्वजनिक परिसम्पत्तियों (जैसे सड़क, पुल, नहर, बांध आदि) क्षतिग्रस्त होने की सम्भावना रहती है। बाढ़/अत्यधिक वर्षा से सार्वजनिक परिसम्पत्तियों को होने वाली इस प्रकार की क्षति की तात्कालिक Restoration का प्रावधान राज्य आपदा मोचन निधि के बिन्दु संख्या 10 में अनुज्ञेय है। इसके तहत उन्हीं कार्यों को हाथ में लिया जा सकता है, जिसके कारण आपदा प्रभावित लोगों का सामान्य जन–जीवन प्रभावित होता है।

इस संबंध में गत वर्षों में विभाग द्वारा जारी परिपत्रों में यह स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि बाढ़/अत्यधिक वर्षा से क्षतिग्रस्त परिसम्पत्तियों के Restoration सम्बन्धी कार्यों के प्रस्ताव उपखण्ड स्तरीय समिति की अभिशंषा उपरान्त जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण से अनुमोदित प्रस्ताव जिला कलक्टर इस विभाग को प्रेषित करेगें। जिला कलेक्टर (सहायता) निर्धारित प्रारूप में प्रस्ताव विभाग को भिजवाये जिसमें क्षतिग्रस्त सम्पत्ति का वर्गीकरण, क्षति की दिनांक, क्षति की दिनांक को वास्तविक वर्षा, क्षति का मुख्य कारण तथा क्षतिग्रस्त हिस्से की लोकेशन आदि की सूचना होना आवश्यक है, ताकि प्रस्तावों की समीक्षा किया जाना संभव हो सके। जिला कलक्टर द्वारा प्रेषित प्रस्तावों में यह प्रमाण पत्र अवश्य अंकित होना चाहिए कि प्रस्तावित कार्य बाढ़/अत्यधिक वर्षा से ही क्षतिग्रस्त हुए है, जिसकी तात्कालिक Restoration करवाया जाना आवश्यक है, ताकि सामान्य जन–जीवन प्रभावित न हो।

प्राकृतिक आपदाओं से सार्वजनिक परिसम्पत्तियों के क्षतिग्रस्त होने पर विभाग द्वारा जारी निर्धारित प्रपत्रों में ही प्रस्ताव भिजवाये जाने पर विभाग द्वारा अनुमोदन किये जाने के उपरान्त ही जिला कलेक्टर कार्यों की प्रशासनिक स्वीकृति जारी करेंगे। तकनीकी स्वीकृति कार्यकारी

विभाग/संस्था द्वारा जारी की जायेगी तत्पश्चात् जिला कलक्टर कार्यालय तात्कालिक Restoration के लिए आवश्यक बजट की मांग इस विभाग को On line विभाग के वेबपोर्टल पर भेजेगें।

इस विषय में निम्नलिखित दिशा–निर्देश प्रसारित किये जाते है :–

1. प्राकृतिक आपदाओं से क्षतिग्रस्त परिसम्पत्तियों के Restoration के प्रस्ताव जिला कलक्टर सर्वप्रथम उपखण्ड स्तरीय समिति से परीक्षण/सत्यापन करवाये। उपखण्ड स्तरीय समिति यह आश्वस्त होने के बाद ही, कि परिसम्पत्ति की क्षति बाढ़ अथवा अत्यधिक वर्षा से उत्पन्न बाढ़ जैसी परिस्थितियों के कारण ही हुई है तथा सामान्य जन–जीवन को बाधित होने से बचाने के लिए उसकी तात्कालिक मरम्मत आवश्यक है, अपनी अभिशंषा जिला कलक्टर को प्रेषित करेगी।
2. उपखण्ड स्तरीय समिति की अनुशंषा प्राप्त होने पर जिला कलक्टर प्रस्ताव आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग को निर्धारित प्रपत्र में भिजवायेंगें। प्रस्तावों के साथ यह प्रमाण–पत्र भी देना होगा कि प्रस्तावित कार्य बाढ़/अत्यधिक वर्षा से उत्पन्न बाढ़ जैसी परिस्थितियों के कारण क्षतिग्रस्त हुई परिसम्पत्ति से ही सम्बन्धित है एवं एसडीआरएफ नोर्म्स के अनुसार है।
3. आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग द्वारा जिला कलेक्टर से प्राप्त प्रस्तावों का अनुमोदन किये जाने के उपरान्त जिला कलेक्टर अनुमोदित कार्यों की प्रशासनिक स्वीकृति अपने स्तर पर जारी करेगें। अनुमोदित कार्यों को जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण में भी स्वीकृत कराया जाये।
4. सम्बन्धित विभाग/कार्यकारी संस्था, जिला कलक्टर द्वारा जारी प्रशासनिक स्वीकृति के क्रम में, तकनीकी स्वीकृति सक्षम अधिकारी के स्तर से जारी करेंगे।
5. प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति जारी किये जाने के उपरान्त जिला कलक्टर, तात्कालिक Restoration के कार्यों हेतु, आवश्यक बजट की मांग इस विभाग को On line प्रेषित करेंगें।
6. आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग से बजट आवंटन प्राप्त होते ही जिला कलक्टर बजट आवंटन को ध्यान में रखते हुए वित्तीय स्वीकृति जारी करेंगे।
7. वित्तीय स्वीकृति जारी होने के उपरान्त ही मरम्मत कार्य प्रारम्भ किया जावेगा। यदि बजट आवंटन से पूर्व कोई कार्य प्रारम्भ करा लिया जाता है, तो इसकी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी।
8. तात्कालिक Restoration कार्यों की तकनीकी स्वीकृति कार्यकारी एजेंसी/संस्था/संबंधित विभाग द्वारा सक्षम स्तर से जारी की जायेगी। कार्यकारी एजेंसी एवं अन्य विभागों द्वारा

राशि का उपयोग लिये जाने के उपरान्त ही एस.डी.आर.एफ. मद की राशि को उपयोग में लिया जायेगा।

16. पूर्व वर्षों में यह देखा गया है कि क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों (जैसे सड़क, पुल, नहर, बांध आदि) की मरम्मत हेतु माह दिसम्बर, जनवरी तक प्रस्ताव प्रेषित किये जाते है। एस.डी.आर.एफ. नोर्म्स अनुसार तात्कालिक Restoration किया जाना ही अनुमत है। अतः क्षतिग्रस्त परिसम्पत्तियों के प्रस्ताव दिनांक 15 अक्टूबर तक विभाग को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें, इसके पश्चात प्राप्त होने वाले प्रस्तावों पर विभाग द्वारा विचार नहीं किया जायेगा।

17. तात्कालिक Restoration के कार्य पूर्ण होने के उपरान्त जिला कलक्टर कार्यालय, संबंधित कार्यकारी संस्थाओं से, पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त कर आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग को इससे अवश्य अवगत करावें। समस्त कार्य बजट आवंटित किये गये वित्तीय वर्ष में ही पूर्ण किये जाने आवश्यक है। तात्कालिक Restoration के कार्यों से संबंधित देनदारियां आगामी वित्तीय वर्ष में ले जाने पर उनका भुगतान कार्यकारी संस्था द्वारा स्वयं के बजट मद से किया जायेगा। आपदा के समय करवाये गये कार्यों के बिलों का सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी एवं कार्यकारी संस्था के तकनीकी अधिकारी के द्वारा सत्यापन होना आवश्यक है। उक्त सत्यापन के अभाव में आपदा के दौरान करवाये गये कार्यों के भुगतान हेतु बजट की मांग पर विभाग द्वारा विचार किया जाना सम्भव नहीं होगा।

7/8

(आशुतोष ए.टी. पेडणेकर)
शासन सचिव

प्रतिलिपि :– समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान को सूचनार्थ प्रेषित है।

संयुक्त शासन सचिव

विभागीय निर्माण/मरम्मत कार्यो हेतु वांछित सामग्री यथा–सीमेंट, रोड़ी, ईंट, बजरी आदि के लिए यदि सामग्री–प्रदाताओं के साथ वार्षिक दर–संविदा की हुई है, तो उन दरों एवं शर्तो पर सामग्री क्रय की जा सकती हैं। दर–संविदा के तहत सामग्री की दरें तात्कालिक निविदा दरों से सामान्यतया कम होगी।

9. कार्यकारी एजेन्सी की वित्तीय शक्तियां PWF&AR एवं RTPP नियम के अनुसार मान्य होगी।

10. जिला कलेक्टर द्वारा तात्कालिक Restoration कार्यों से संबंधित कार्यकारी ऐजेन्सी को बजट का हस्तान्तरण/आंवटन नही किया जाकर उनके द्वारा पारित बिलों के आधार पर अपने स्तर से ही भुगतान की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें। इस संबंध में कृपया विभागीय पत्र क्रमांक 12199–231 दिनांक 03.10.2008 का अवलोकन करें, जिसमें स्पष्ट है कि रनिंग/फाइनल बिल का भुगतान जिला कलक्टर कार्यालय स्तर से कोष कार्यालय के मार्फत ही किया जाये।

11. बाढ़/अत्यधिक वर्षा से क्षतिग्रस्त परिसम्पत्तियों के Restoration में यह ध्यान रखा जावे कि परिसम्पत्तियों का तात्कालिक Restoration ही किया जाना है, न कि नया निर्माण। इस सम्बन्ध में कृपया एस.डी.आर.एफ. नोर्म्स में दिये गये प्रावधानों की आवश्यक रूप से पालना करें।

12. क्षतिग्रस्त परिसम्पत्तियों के Restoration कार्य, कार्य प्रारम्भ करने की तिथी से 30 दिवस तक आवश्यक रूप से पूर्ण करवाना सुनिश्चित करें।

13. राज्य आपदा मोचन निधि के बिन्दु संख्या 10 एवं उसके परिशिष्ट की पूर्ण पालना के अनुसार गणना कर सड़कों/पुलों के प्रस्ताव इस विभाग को प्रेषित करें।

14. क्षतिग्रस्त नहरों/बांधों के प्रस्ताव भिजवाते समय जिला कलेक्टर सम्बन्धित विभाग/कार्यालय से यह प्रमाण पत्र अवश्य प्राप्त करें कि नहरों का उपयोग सिंचाई/पेयजल कार्यों के लिये निरन्तर लिया जा रहा है तथा इसके क्षतिग्रस्त होने से इसका प्रभाव जनजीवन पर हो रहा है। क्षतिग्रस्त नहरों/बांधों के तात्कालिक मरम्मत के प्रस्ताव भिजवाते समय यह स्पष्ट उल्लेख किया जावे कि प्रेषित प्रस्ताव लघु सिंचाई परियोजना से संबंधित है अथवा मध्यम/वृहत सिंचाई परियोजना से संबंधित है। एसडीआरएफ नोर्म्स अनुसार मध्यम एवं वृहत सिचाई परियोजना के लिय ग्रामीण सड़को को देय सहायता के अनुसार अर्थात प्रति कि.मी. 60,000/– रूपये एवं लघु सिंचाई योजना हेतु प्रति स्कीम 1.50 लाख रूपये का प्रावधान है।

15. जिला कलेक्टर कार्यकारी ऐजेन्सी से कार्य प्रारम्भ करवाने से पूर्व यह प्रमाण पत्र प्राप्त करें कि सर्वप्रथम उनके पास उपलब्ध राज्य मद में मरम्मत एवं संधारण हेतु प्रावधित

प्रपत्र

For Drainage System

प्रपत्र–1

Amount in Lacs

S.No.	Name of ULB's	Name of District	Name of Divison	Number of Work	Length of drainage (in K.M)	Amount require
1	2	3	4	5	6	7

For Road System

प्रपत्र–2

Amount in Lacs

S.No	Name of ULB's	Name of District	Name of Divison	No. of Culverts Damaged	Amount required for immediate restoration for Culverts	No. of Road Damaged	Road Damaged in Km.	Amount required for Immediate restoration of Road	Total Cost (6+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

For Road System

प्रपत्र–3

S.No.	Name of local Body	Number of damaged Road	Length of Damaged Road (in K.M)
1	2	3	4

Expenditure during flood / excess rainfall

प्रपत्र–4

S.No.	Full Deatil of work done during flood / excess rainfall	Expenditure (in Lacs)	Remarks
1	2	3	4

Non Compliance ULBs

S.No.	Name of ULB's
1	BAYANA
2	KANMA
3	KUMHER
4	BHUSAWAR
5	NAGAR
6	BARI
7	RAJAKHEDA
8	KARAULI
9	SAWAIMADHOPUR
10	GANGAPURCITY
11	Udaipur
12	NIMBAHERA
13	BEGUN
14	RAWATBHATA
15	KUSHALGARH
16	PARTAPUR GADI
17	Jaipur
18	RAJAGARH
19	THANA GAZI
20	BARMER
21	JAISALMER
22	POKARAN
23	BHINMAL
24	SOJAT CITY
25	SADRI
26	ABUROAD
27	SHIVGANJ
28	Bikaner